

कार्यालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

कार्यालय आदेश

श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर के पत्र क्रमांक स्था0/2025/18060 दिनांक 16.05.2025 की अनुपालना में मैं अर्चना गुप्ता, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर, अलवर न्यायक्षेत्र में किशनगढबास तहसील मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों का कार्य सुचारु, सुगमता से संपादित किये जाने के उद्देश्य से इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 4479 दिनांक 12.12.2021 एवं क्रमांक 4619 दिनांक 14.11.2024 में आंशिक संशोधन करते हुए अलवर न्यायक्षेत्र में मुख्यालय किशनगढबास में स्थित न्यायालयों में कार्यरत न्यायिक अधिकारीगण के अवकाश/मुख्यालय से बाहर रहने पर उनके न्यायालय में आवश्यक कार्य करने हेतु निम्नानुसार अधिकारीगण को कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है:-

S.No.	Judicial Officers remains on leave out of headquarter	Judicial Officers who will look after the daily routine & Urgent work.
1-	CJ & JM, KISHANGARHBAS	ACJM-1 KISHANGARHBAS
2-	ACJM-1 KISHANGARHBAS	ACJM-2 KISHANGARHBAS
3-	ACJM-2, KISHANGARHBAS	CJ & JM, KISHANGARHBAS

नोट :-

1. कम संख्या एक लगायत तीन से संबंधित पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने व मुख्यालय से बाहर होने पर न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुण्डावर द्वारा आवश्यक कार्य संपादित किया जावेगा।
2. लिंक अधिकारी अवकाश पर होने पर व मुख्यालय से बाहर रहने पर, उनके लिंक न्यायालय द्वारा आवश्यक कार्य किया जावेगा।
3. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 4479 दिनांक 12.12.2021 एवं क्रमांक 4619 दिनांक 14.11.2024 के शेष आदेश यथावत रहेंगे।
4. उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलवर
अलवर (राज०)

क्रमांक:- 2316-26

दिनांक:- 21/05/25

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है-

1. माननीय जिला एवम सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर
2. श्रीमान जिला कलक्टर, अलवर
3. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर/खैरथल-तिजारा/बहरोड-कोटपूतली/भिवाडी
4. संबंधित पुलिस थाना.....
5. कार्यालय प्रति/संबंधित न्यायालय/अध्यक्ष, बार एसोसियेशन.....
- ✓ 6. कम्प्यूटर शाखा, अलवर (उक्त आदेश को साईट पर अपलोड कर समस्त न्यायालय, अलवर न्यायक्षेत्र को ई-मेल करें)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

अलवर
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलवर (राज०)